झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 57 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती अंजु कुमारी, मुखिया, खासीदाग ग्रा० पंचायत, विश्रामपुर, पलामू ।

बनाम

प्रतिवादी DSO, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	श्रीमती अंजु कुमारी, मुखिया, ग्राम–पंचायत–घासीदाग, प्रखण्ड–विश्रामपुर, पलामू का परिवाद पत्र आयोग के पलामू ज़िला भ्रमण के दौरानदिनांक–20.07.2022 को आयोजित जन सुनवाई में उपलब्ध कराया गया। परिवादी द्वारा PDS विक्रेता, आशावाद महिला विकास मण्डल, अनु0 सं0–02/2010 के विरूद्ध विगत 4 माह का राशन वितरण नहीं किये जाने से संबंधित शिकायत की गई है। यह भी उल्लेखित है कि उनके द्वारा दिनांक–22.06.2022 को इस आशय का शिकायत–पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विश्रामपुर को एवं दिनांक–24.06.2022 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को दिया गया। परन्तु लाभुकों को राशन का लाभ नहीं मिल पाया है। यह भी कि उक्त राशन डीलर पार्वती देवी को निलंबित कर अन्य PDS वितरक श्री द्वारिका सिंह, अनु0 सं0–06/1988 के साथ लाभुकों के साथ टैग किया गया, किन्तु उन्हें 4 माह का बकाया राशन अबतक नहीं मिल पाया है। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं पणन पदाधिकारी, विश्रामपुर को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–08.09.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–08-09-2022 को रखें। Sd/- 16.8.22 (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 16/08/2022 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.09.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विश्रामपुर उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू माननीय मंत्री द्वारा आहूत बैठक में भाग लेने के कारण उपस्थित नहीं हो पाये। परिवाद के सम्बन्ध में पूछे जाने पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को जानकारी दी कि अपीलकर्ता सहित अन्य सभी लाभुकों को नये सिरे से Tagging और आकलन किया जा रहा है। आयोग ऐसी बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है। आयोग प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि आयोग के सख्त निर्देश से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अवगत कराते हुए शिकायतकर्ता सहित उन सभी लाभुकों को बकाया राशन जुर्माना के साथ 7 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराएँ। जुर्माना सहित सवा गुणा राशन उपलब्ध कराया जाए। 7 दिनों के अन्दर यदि आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया तो आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को बाध्य होगा। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx25	